UNITED NATIONS
INFORMATION CENTRE
FOR INDIA AND BHUTAN

मानव अधिकार दिवस

10 दिसम्बर 2015

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून का संदेश

आज जब दुनियाभर में बड़े पैमाने पर अत्याचार और मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तब मानवाधिकार दिवस पर उन चिरकालीन सिद्धांतों को प्रोत्साहन देने के लिए दुनियाभर में अधिक एकजुट प्रयास होने चाहिए जिनके सम्मान का हम सबने मिलकर वायदा किया था।

संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगाँठ वर्ष में हम दूसरे महायुद्ध के बाद उभरे आधुनिक मानव अधिकार आंदोलन के इतिहास से प्रेरणा ले सकते हैं।

उस समय अमरीका के राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रूज़वेल्ट ने चार मौलिक स्वतंत्रताओं को हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार माना था : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पूजा पद्धति की स्वतंत्रता, वंचना से स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता। उनकी पत्नी एलेनॉर रूज़वेल्ट ने इन स्वतंत्रताओं को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में शामिल कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र में दुनियाभर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रयास किया।

आज इन चार स्वतंत्रताओं के नज़रिए से असाधाररण चुनौतियों को देखा और सुलझाया जा सकता है।

एक: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिससे लाखों लोग वंचित हैं और जिस पर खतरा बढ़ रहा है। हमें प्रबुद्ध समाज के लिए लोकतांत्रिक परपंराओं और स्थान का बचाव, संरक्षण और विस्तार करना ही होगा। हमेशा स्थिरता के लिए यह आवश्यक है।

दो: पूजा पद्धति की स्वतंत्रता। दुनियाभर में आतंकवादियों ने धर्म को बंधक बना लिया है, धर्म के नाम पर हत्याएं कर वे उसकी मूल भावना को झुठला रहे हैं। कहीं पर धार्मिक अल्पसंख्यक निशाने पर हैं और राजनीतिक लाभ के लिए भय को भुनाया जा रहा है। इस का सामना करने के लिए हमें सबके बीच बुनियादी समानता और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के सिद्धांत के आधार पर विविधता के प्रति सम्मान को प्रोत्साहन देना होगा।

तीन: वंचना से स्वतंत्रता के अभाव से आज भी मानव समाज का बड़ा हिस्सा जूझ रहा है। सितम्बर में विश्व नेताओं ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा का अनुमोदन किया। इसका उद्देश्य गरीबी मिटाना तथा हर व्यक्ति को शांत और स्वस्थ पृथ्वी पर सम्मान के साथ जीने की सामर्थ्य देना है। इस संकल्प को साकार करने के लिए हमें जी-जान से प्रयास करना होगा।

चार: भय से स्वतंत्रता। लाखों शरणार्थी और देशों के भीतर विस्थापित लोग इस स्वतंत्रता से वंचित रहने की ही देन हैं। दूसरे माहयुद्ध के बाद से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पहले कभी अपने घर छोड़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ा है। वे युद्ध से, हिंसा से और अन्याय से बचकर महाद्वीपों और महासागरों के पार भागते हैं और अकसर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इस स्थिति का सामना करने के लिए हमें अपने दरवाज़े बंद करने के बजाय खोलने चाहिए और बिना किसी भेदभाव के शरण पाने के सब के अधिकार की गारंटी देनी चाहिए। गरीबी और निराशा से बचकर भागे प्रवासियों को भी उनके बुनियादी मानवाधिकार मिलने चाहिए।

आज एक बार फिर हम मानवाधिकारों के संरक्षण को अपने काम का आधार मानने का संकल्प लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की Human Rights up Front पहल की यही मूल भावना है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघनों की रोकथाम और उसका सामना करना है।

इस मानवाधिकार दिवस पर आइए मूल स्वतंत्रताओं की गारंटी और सबके मानवाधिकारों के संरक्षण का संकल्प दोहराएं।

55 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ + 91 11 24623439, 46532333 *Fax:* + 91 11 24620293
unicindia@unicindia.org, www.unic.org.in
UNICNewDelhi, @UNICDELHI
UN-INDIA CONNECT